

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश

"मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन"

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स- 0755-2555162,

E-Mail : ceomp@mp.nic.in Website: mpelections.nic.in

फा. क्रमांक 90(2)/2011/चार/ 4421  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/5/2012

महाधिवक्ता,  
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय  
जबलपुर (म.प्र.)

~~क्रमांक~~ 2621216, 2678185

विषय:- इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का भौतिक सत्यापन बाबत।

संदर्भ:- विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश पत्र क्रमांक 2559/2012/21-क(या.) दिनांक 13.04.2012 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 90(2)/2011/चार/2614 दि. 18.4.2012

एवं पत्र क्र. 20/95/प्र.व.13/2690 अ.24-4-2012

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (संलग्न) का कृपया अवलोकन करें। जिसके द्वारा स्ट्रांग रूम में रखी EVM के भौतिक सत्यापन के लिए स्ट्रांग रूम खोलने की अनुमति की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र. के पत्र क्रमांक सामा.निर्वा. /2012/445 दिनांक 16.5.2012 की प्रति संलग्न है। जिसके द्वारा ई.पी. क्रं. 34/2009 एवं 38/2009 के कारण अवरुद्ध मशीनों के भौतिक सत्यापन हेतु स्ट्रांग रूम खुलवाने के लिए श्री विजय पाण्डेय डिप्टी एडवोकेट जनरल म.प्र. के द्वारा रुपये 15,000/- एवं 15,000/- के दो दायक प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है।

कृपया विधि विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 13.04.2012 के अनुसार इस कार्य हेतु पृथक से फीस नहीं दी जाना है प्रति संलग्न है। कृपया विधि विभाग के पत्र के प्रकाश में सभी अधिवक्ताओं को जिला/उप जिला निर्वाचन अधिकारी के आने पर आवेदन लगवाने हेतु निर्देश देना चाहें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(एस.एस. बंसल) 30.5.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक

पृ. क्रं. 90(2)/2011/चार/  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन विधि एवं विधायी निर्वाचन कार्य विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़, म.प्र. को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 90(2)/2011/चार/2614 दि. 18.4.2012 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (टीकमगढ़ को छोड़कर) की ओर विधि विभाग के पत्र की प्रति पुनः भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र की प्रति सभी प्रभारी अधिकारी को दें।

(एस.एस. बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 2559/2012/21-क(या0), भोपाल, दिनांक /04/2012  
प्रति,

महाधिवक्ता,  
म0प्र0 उच्च न्यायालय,  
जबलपुर (म0प्र0)

विषय:- ई0व्ही0एम0(इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के भौतिक सत्यापन के संबंध में।

::0::

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र0 51/8/6/2011-ई0एम0एस0 दिनांक 26.12.2011 द्वारा प्रसारित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विधि(निर्वाचन) विभाग द्वारा चाहेनुसार न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

( आर0बी0 दामड़े )  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
पृ0 क्रमांक 2559/2012/21-क(या0), भोपाल, दिनांक 13/04/2012

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि(निर्वाचन) विभाग भोपाल की ओर उनके फा0क्र0 90(2) विधि(निर्वाचन)/4/2011 दिनांक 09.04.2012 के संदर्भ में म0प्र0 विधि विभाग नियमावली के नियम 136 के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी को तत्काल निर्देश दीजिए कि वे प्रकरण से संबंधित अभिलेख तथा अन्य कागजात के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करें।

( आर0बी0 दामड़े ) 13-4-12  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

FAX

D:\saify\EVM\verification 90 (1).doc

263

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन,

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स- 0755- 2555162

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: http://mpelections.nic.in

फा.क्र. 90(2)/2011/चार/2613  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18-4-2012

महाधिवक्ता,  
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,  
जबलपुर (म.प्र)

विषय: इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का भौतिक सत्यापन बाबत।

विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 51/8/6/2011-ई.व्ही.एम दिनांक 26.12.2011 द्वारा प्रसारित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 2559/2012/21-क(या.) दिनांक 13.04.2012(संलग्न)की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कृपया संबंधितों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के भौतिक सत्यापन के प्रकरणों के संबंध में संबंधित शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश देने का कष्ट करें।  
संलग्न: उपरोक्तानुसार

पृ. फा.क्र. 90(2)/2011/चार/2614  
प्रतिलिपि:

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त (म.प्र) को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 2559/2012/21-क(या.) दिनांक 13.04.2012(संलग्न) की प्रति संबंधित अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्न: उपरोक्तानुसार

(एस. एस. बंसल) 18-4-12  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 18-4-2012

(एस. एस. बंसल) 18-4-12  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

ai

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ (म.प्र.)

कमांक/सामा0निर्वा0/2012/445

टीकमगढ़, दिनांक 16/5/2012

प्रति

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश भोपाल

TO

255

विषय:- अतिरिक्त आवंटन रुपये 30000.00 उपलब्ध कराने वावत।  
संदर्भ:- आपका पत्र कं. 90/2011/4/निर्देश/1146 दिनांक 15.02.2012  
—00—

2012


विधान सभा निर्वाचन 2008 में विधान सभा क्षेत्र कमांक 45-पृथ्वीपुर के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में EP No.34/2009 पवन विरुद्ध बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं EP No.38/2009 दिनेश विरुद्ध बृजेन्द्र सिंह राठौर में EVM 358/BU एवं 180 CU स्ट्रांग रूम में शील्ड है। जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है।

आपके संदर्भित पत्र के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.04.2011 को श्री विजय पाण्डेय डिप्टी एडवोकेट जनरल म.प्र. से संपर्क कर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों के सत्यापन हेतु स्ट्रांग रूम खोलने वावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय से दिनांक 01.05.2012 को उक्त दोनों E.P में अनुमति प्राप्त हो चुकी है जिसके संबंध में आयोग के पत्र दिनांक 26.12.2011 में निहित निर्देशानुसार शीघ्र भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री विजय पाण्डेय डिप्टी एडवोकेट जनरल म.प्र. के द्वारा उपरोक्त दोनों E.P में आवेदन प्रस्तुत करने एवं न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में रुपये 15000.00 एवं 15000.00 के पृथक-पृथक दो देयक प्रस्तुत किये हैं जिनकी छायाप्रति संलग्न है। कृपया रुपये 30000.00 (तीस हजार मात्र) का अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि देयको का भुगतान किया जा सके।

संलग्न:-02 देयक

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
टीकमगढ़



*Vijay Pandey*  
DY. ADVOCATE GENERAL  
MADHYA PRADESH



D.O. No. .... Adv. Gen./.....  
**OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL**  
MADHYA PRADESH, JABALPUR  
Phone : (O) 2678185, 2678740  
Fax : (O) 0761 - 2621216  
Phone : (R) 2411350  
Mob. : 9425150560  
Dated : ..... 8/5/12 .....

582  
9/5/12

To,

1. The Chief Election Officer,  
State of Madhya Pradesh,  
Arera Hills, Bhopal (M.P.).
2. District Election Officer/Collector,  
Tikamgarh (M.P.).

Sub : Bill for appearance & filing the application for seeking the permission from the Hon'ble High Court for opening the Strong Room & Physical Verification of EVM machine in the Election Petition No.38/09 (Dinesh Vs. Brijendra Singh).

**BILL**

Counsel Fees	Rs. 12,500/-
Clerical & General Expenditure	Rs. 2,500/-
<b>TOTAL RS.</b>	<b>Rs. 15,000/-</b>
(Rupees Fifteen Thousand only)	

JABALPUR :  
DATED : 8 /5 /2012

(VIJAY PANDEY)  
Dy. Advocate General,  
State of M.P., Jabalpur.

Encl : Copy of the order of Hon'ble High Court

*Vijay Pandey*  
DY. ADVOCATE GENERAL  
MADHYA PRADESH



D.O. No. .... Adv. Gen./.....

**OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL**

MADHYA PRADESH, JABALPUR

Phone : (O) 2678185, 2678740

Fax : (O) 0761 - 2621216

Phone : (R) 2411350

Mob. : 9425150560

Dated : 8/15/12

To,

583

7/5/12

1. The Chief Election Officer,  
State of Madhya Pradesh,  
Arera Hills, Bhopal (M.P.).
2. District Election Officer/Collector,  
Tikamgarh (M.P.).

Sub : Bill for appearance & filing the application for seeking the permission from the Hon'ble High Court for opening the Strong Room & Physical Verification of EVM machine in the Election Petition No.34/09 (Pawan Vs. Brijendra Singh).

**BILL**

Counsel Fees	Rs. 12,500/-
Clerical & General Expenditure	Rs. 2,500/-
<b>TOTAL RS.</b>	<b>Rs. 15,000/-</b>
(Rupees Fifteen Thousand only)	

JABALPUR :

DATED : 8/15/2012

(VIJAY PANDEY)

Dy. Advocate General,  
State of M.P., Jabalpur.

Encl : Copy of the order of Hon'ble High Court

विषय- आर्वाइजन प्रकरण क्रमांक 11107 मेसर्स एमोसिपेट कम्प्लेक्स  
 सर्वे सेरु गोपाल विस्तृत भाष्य-शासन एवं अन्य  
 9/10/2012

अ-2 सचिवालय

का विभाग

पृष्ठ संख्या

प्रशासकीय विभाग को लेख किया जाता है कि म0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य आवंटन नियम के अध्याय इक्कीस भाग ई अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी म.प्र. का कार्यालय विधि विभाग के अधीनस्थ आता है। उसकी ओर से पैरवी हेतु इस विभाग द्वारा महाधिवक्ता/अति. महाधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(अ)2/95/21-ब(दो), दिनांक 15.11.2002 अनुसार महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता एवं अन्य शासकीय अधिवक्ताओं को निर्धारित मासिक पारिश्रमिक (रिटैनर फीस) का भुगतान किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मामले में नियुक्त शास. अधिवक्ता/महाधिवक्ता को कोई अतिरिक्त एवं विशेष फीस का भुगतान किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत ना होगा। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि उक्त मामले में शासन की ओर से नियुक्त शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता के कोई अतिरिक्त फीस पाने के हकदार नहीं होंगे।

(विधि सचिव द्वारा अनुमोदित)

*Abanwar*  
 (आर. बी. दामडे) 12-4-12  
 अवर सचिव, विधि

विधि (निर्वाचन) विभाग

2163  
 13/4/12

~~विधि विभाग का~~  
~~निर्वाचन~~ ~~कमि. 10/12~~ ~~महाधिवक्ता~~  
~~शासकीय अधिवक्ता~~ ~~का सेवा~~  
 A/c 10/05  
 श्री राजीव AP/S-3

2014

17.4.12  
 अवर सचिव  
 17-4-2012  
 13/4/12

0/

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश**

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स- 0755- 2555162ए

E-Mail : [ceomp@mp.nic.in](mailto:ceomp@mp.nic.in) Website; [ceomadhyapradesh.nic.in](http://ceomadhyapradesh.nic.in)

फा. क्र. 20/95/परि.प./3/2690  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24-4-2012


कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
भोपाल, (मध्यप्रदेश)

**विषय:** न्यायालयीन प्रकरणों में महाधिवक्ता / शासकीय अधिवक्ता को फीस का भुगतान किये जाने के संबंध में ।  
**संदर्भ:** कलेक्टर भोपाल का पत्र क्रमांक 243/निर्वाचन/2012 दिनांक 20.3.2012

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । आर्बिट्रेशन प्रकरण में अपील करने हेतु आपके द्वारा शासकीय अधिवक्ता को फीस की राशि दिये जाने के संबंध में आवंटन चाहा था । इस संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा दिया गया अभिमत इस प्रकार है :-

" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य आवंटन नियम के अध्याय इक्कीस भाग ई अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का कार्यालय विधि विभाग के अधिनस्थ आता है। उसकी ओर से पैरवी हेतु इस विभाग द्वारा महाधिवक्ता/अति. महाधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(अ)/2/95/21-ब(दो) दिनांक 15.11.2002 अनुसार महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता एवं अन्य शासकीय अधिवक्ताओं को निर्धारित मासिक पारिश्रमिक (रिटैनर फीस) का भुगतान किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मामले में नियुक्त शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता को कोई अतिरिक्त एवं विशेष फीस का भुगतान किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत ना होगा " ।

कृपया उक्त दिये गये अभिमत के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें । साथ ही आर्बिट्रेशन प्रकरणों में शीघ्र अपील प्रस्तुत कराकर अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ।



(एस.एस. बंसल)  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्य प्रदेश



फा. क्र. 20/95/परिप./3/२६१।

भोपाल, दिनांक २५.५.२०१२

प्रतिलिपि-

1. माननीय महाधिवक्ता, जबलपुर मध्यप्रदेश ।  
श्री श्री विवेक
2. श्री विवेक अग्रवाल, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश ।
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त (कलेक्टर भोपाल को छोड़कर) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित । कृपया न्यायालयीन प्रकरणों में फीस के संबंध में उक्त निर्देशों/अभिमत का पालन सुनिश्चित करें ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन, बैतूल, होशंगबाद, विदिशा एवं सीहोर को अग्रेषित । प्रकरण में शीघ्र अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें ।

(एस.एस. बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्य प्रदेश

